राजस्थान सरकार

राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर

क्रमांक/पै.मे./निविदा/2015/ दिनांकः

सीमित बोली आमंत्रण सूचना

राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर, जी–1, किसान भवन, लाल कोठी, जयपुर को विडियोग्राफी कार्य हेतु अनुभवी व्यक्ति/इच्छुक फर्म जिनके पास स्वंय का अनुभवी विडियोग्राफर मय अच्छी गुणवत्ता का वीडियो केमरा एव सी.डी हो से निर्धारित प्रपत्र में बोली आमंत्रित की जाती है। इच्छुक बोलीदाता दिनांक 07.07.15 से 14.07.15 तक दोपहर 12.00 बजे तक कार्यालय समय में रजिस्ट्रार राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल के कार्यालय में सीमित बोली आमंत्रण आवेदन कर सकते है।

भरे हुये बोली प्रपत्र दिनांक 14.07.2015 को अपरान्ह 3.00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे। जो उसी दिन अपरान्ह 4.00 बजे उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोले जायेंगे। किसी भी बोली को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को होगा। विस्तृत शर्तें बोली प्रपत्र के अनुसार मान्य होगी।

(डा० गुजंन सोनी)
रजिस्ट्रार

क्रमांक/पै.मे./निविदा/2015/270। दिनांकः 6/7/15

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 प्रभारी सर्वररूम को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना को आज ही RPMC की वेबसाइट एवं एस.पी.पी.पोर्टल पर अपलोड करें।
2. नोटिस बोर्ड किसान भवन, लाल कोठी, जयपुर।
3. मैसर्स.. ।
4. रक्षित पत्रावली।

(डा० गुजंन सोनी)
रजिस्ट्रार

विडियोग्राफी कार्य के लिए बोली प्रपत्र

1. बोलीदाता का नाम...
2. पूरा पता..
3. टेलीफोन नं..............................मोबाईल नं..................................पैन नं..............................
4. ई–मेल आई.डी...
5. बोली आमन्त्रण सूचना संख्या...
6. विडियो ग्राफी कार्य के लिए प्राप्त प्रशिक्षण योग्यता एवं अनुभव सम्बधी दस्तावेज का विवरण (स्व प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
7. आवेदनकर्त्ता का Address Prof फोटो पहचान पत्र एवं पैन कार्ड का विवरण (स्व प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
8. मैं/हम राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल जयपुर द्वारा जारी बोली आमंत्रण सूचना संख्या.. .... दिनांक....................... के संदर्भ में बोली दस्तावेजो के साथ संलग्न की गई शर्तो को स्वीकार करने के लिए सहमत है। सहमति के रूप में शर्तो के सभी पृष्ठो पर हस्ताक्षर कर दिये गये है।
9. अधिकृत व्यक्ति का नाम पता एवं नमूना
10. दर प्रति दिवस रू ....(शब्दों में.........................) अंकित करें।
11. शर्ते संलग्न <u>प्रपत्र–अ</u>

हस्ताक्षर बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय दिनांक

प्रपत्र–अ

विडियोग्राफी कार्य के लिए बोली शर्ते

1. राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल द्वारा संस्थाओ/कम्पनी से विडियोग्राफी कार्य हेतु प्रशिक्षित एव अनुभवी विडियोग्राफर फर्म/व्यक्तियों से बोली आमंत्रित की जाती है। जो दिनांक 07.07.15 से 14.07.15. को दोपहर 12.00 बजे तक स्वीकार की जावेगी। बोली खोलने की तिथि 14.07.15 अपरान्ह 4.00 बजे उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोली जावेगी।
2. विडियोग्राफी कार्य में प्रशिक्षित एवं अनुभवी फर्म/व्यक्ति बोली के लिए पात्र होगें।
3. विडियोग्राफी का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान होगा। जिसके लिए कार्यालय द्वारा अनुमोदित बोलीदाता को सूचित किये गये समय एवं स्थान पर वीडियोग्राफी के लिए अनुभवी विडियोग्राफर मय अच्छी गुणवत्ता का वीडियो केमरा उपलब्ध करवाना होगा।
4. प्रति कार्य दिवस न्यूनतम 02(दो) एवं अधिकतम 10(दस)विडियोग्राफर आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराने होगें।
5. कार्य आदेश जारी करने की तिथि से 45 दिवस तक वांछित विडियोग्राफर उपलब्ध कराने होगें।यह अवधि घटाने एवं बढाने का अधिकार रजिस्ट्रार, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल जयपुर को होगा।
6. विडियोग्राफी कार्य अच्छी गुणवत्ता का होगा जिसकी सी.डी तैयार करके देनी होगी। जो विभाग की संतुष्टि के अनुसार आवश्यक है। यदि सी.डी विभाग की संतुष्टि के अनुरूप नही है तो पुनः सी.डी तैयार करके देनी होगी जिसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान विभाग द्वारा देय नही होगा। सी.डी.बोलीदाता की होगी।
7. अनुमोदित बोलीदाता के कार्य से विभाग के संतुष्ठ नही होने की दशा में अनुबंध को विभाग द्वारा निरस्त किया जा सकेगा।
8. दरे शब्दो एवं अंको में स्पष्ट रूप से अंकित करनी होगी जिन पर कोई काट छांट ओवर राइटिग नही होनी चाहिए। अंको एंव शब्दो में लिखी दरो में अन्तर होने की स्थिति में न्यूनतम दर मान्य होगी।
9. सफल बोलीदाता को इस आशय का पत्र जारी होने के दिनांक से 15 दिवस में रू 500/– के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध करना होगा। जिसका व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जावेगा। बोलीदाता कार्यसम्पादन प्रति भूति 10.000/–रू (अक्षरें रूपये दस हजार मात्र)जमा करानी होगी एव जो कार्य के संतोषजनक रूप से पूर्ण होने के पश्चात लौटाई जावेगी
10. किसी भी बोली को स्वीकार करने का अधिकार रजिस्ट्रार, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल को होगा।

11. यदि बोलीदाता कोई ऐसी शर्त आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त हो या उसके विरूद्ध हो तो बोली बिना किसी सूचना के रद्द् कर दी जावेगी।
12. कोई अग्रिम भुगतान नही किया जावेगा। कार्य करने के उपरान्त बिल प्राप्त होने पर भुगतान किया जावेगा।
13. विडियोग्राफी कार्य हेतु एक से अधिक बोलीदाताओं का पैनल बनाने का अधिकार रजिस्ट्रार, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल को होगा।
14. दरे प्रति दिन के लिए देनी होगी जिसमें सभी प्रकार के प्रभार (यदि कोई हो तो) शामिल होंगे। बोली में अंकित दरो के अलावा कोई भुगतान नही किया जावेगा।
15. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अध्यक्ष राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल का निर्णय अन्तिम होगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय दिनांक